प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 25.07.2024

हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त चाकू बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलायें जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में उ0नि0 रामानुज सिंह यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 417/2024 धारा 115 (2),352, 351(2),109 भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त राजन मद्देशिया को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 4/21 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.07.2024 को समय करीब 03.30 बजे शाम को अभियुक्तगण द्वारा ठेला लगाने की बात लेकर वादी मुकदमा के बेटे को गाली गुफ्ता देते हुए जान से मारने की नियत से चाकू से मारने व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजन मद्देशिया पुत्र मोहन मद्देशिया निवासी सिसवा बाजार थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज हाल मुकाम घोष कम्पनी थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 417/2024 धारा 115 (2),352, 351(2),109 भा0न्या0सं0 व 4/21 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 रामानुज सिंह यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. कां0 दिलीप कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 उमाशंकर गिरी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 पप्पू कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर